

सं०सं०-1/दंत-03/2017- 59 (1) व.

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,  
पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल,  
पटना।

पटना, दिनांक- 30 / 11 / 2017

विषय:- पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना, विपत्र कोड- 20-2210051050009 को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यालय व्यय, प्रकाशन एवं मुद्रण तथा सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में पुनर्विनियोग से प्राप्त कुल रु० 46,00,000/- (रुपये छियालिस लाख) तथा आय-व्ययक से प्राप्त वेतन एवं भत्ते मद में रु० 57,63,250/- (रुपये सन्तावन लाख तिरसठ हजार दो सौ पचास) मात्र अर्थात् कुल रु० 1,03,63,250/- (रुपये एक करोड़ तीन लाख तिरसठ हजार दो सौ पचास) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्राचार्य, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के पत्रांक-1335 दिनांक-10.10.2017 के आलोक में पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना, विपत्र कोड- 20-2210051050009 को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न व्यय विवरणी के अनुसार कार्यालय व्यय, प्रकाशन एवं मुद्रण तथा सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में पुनर्विनियोग से प्राप्त कुल रु० 46,00,000/- (रुपये छियालिस लाख) तथा आय-व्ययक से प्राप्त वेतन एवं भत्ते मद में रु० 57,63,250/- (रुपये सन्तावन लाख तिरसठ हजार दो सौ पचास) मात्र अर्थात् कुल रु० 1,03,63,250/- (रुपये एक करोड़ तीन लाख तिरसठ हजार दो सौ पचास) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

(2) यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०(2) दि०-17.04.98, 2880/वि०(2) दि०-06.05.06, 2938/वि०(2), दि०-08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दि०-18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(3) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

(4) इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0009-दंत महाविद्यालय, पटना विपत्र कोड-20-2210051050009 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में पुनर्विनियोग से प्राप्त स्वीकृत्यादेश सं०-1253(1) दिनांक-31.10.2017 द्वारा एवं आय-व्ययक में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

क्रमशः



(5) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

(6) आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

(7) यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं वित्त/स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत किया जाएगा।


(8) इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।

(9) इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जाएगी।

(10) इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

(11) इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन



(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव


ज्ञापांक:-1/दंत-03/2017- 59(1) वः /स्वा०, पटना, दिनांक- 30 / 11 /2017

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना /वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा० मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।




सरकार के विशेष सचिव

दन्त महाविद्यालय, पटना, विपत्र कोड- 20-2210051050009 को वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि का अतिरिक्त आवंटन

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	पुनर्विनियोग से प्राप्त उपबंध	कुल उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	अद्यतन कुल आवंटन	शेष राशि
0009.01.01 वेतन	8732000	0	8732000	6549000	2183000	8732000	0
0009.01.02 विशेष वेतन	0	0	0	0	0	0	0
0009.01.03 जीवन यापन भत्ता	12071000	0	12071000	9053250	3017750	12071000	0
0009.01.04 मकान किराया भत्ता	1843000	0	1843000	1382250	460750	1843000	0
0009.01.05 परिवहन भत्ता	264000	0	264000	198000	66000	264000	0
0009.01.06 चिकित्सा भत्ता	96000	0	96000	72000	24000	96000	0
0009.01.07 अन्य भत्ता	47000	0	47000	35250	11750	47000	0
<b>योग- वेतन एवं भत्ते</b>	<b>23053000</b>	<b>0</b>	<b>23053000</b>	<b>17289750</b>	<b>5763250</b>	<b>23053000</b>	<b>0</b>
0009.13.01 कार्यालय व्यय	300000	2500000	2800000	300000	2500000	2800000	0
0009.16.01 प्रकाशन एवं मुद्रण	25000	100000	125000	25000	100000	125000	0
0009.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	500000	2000000	2500000	500000	2000000	2500000	0
<b>कुल-</b>	<b>23878000</b>	<b>4600000</b>	<b>28478000</b>	<b>18114750</b>	<b>10363250</b>	<b>28478000</b>	<b>0</b>

(रुपये एक करोड़ तीन लाख तिरसठ हजार दो सौ पचास)

59(1)ब.  
30.11.2017

  
22/11/17  
सरकार के विशेष सचिव

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञाप संख्या-1/दंत-05/2017- 1253(U) /स्वा0, पटना, दिनांक- 31 / 10 / 2017

सेवा में,

\*अनौपचारिक  
रूप से  
परामर्शित

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

\*द्वारा-वित्त विभाग

विषय:- माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0009-दंत महाविद्यालय, पटना विपत्र कोड-20-2210051050009 में वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यालय व्यय, प्रकाशन एवं मुद्रण तथा सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में रू0 46,00,000/- (रुपये छियालिस लाख) मात्र पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश- वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम-489 के अन्तर्गत स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष अन्तर्गत कार्यालय व्यय, प्रकाशन एवं मुद्रण तथा सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में रू0 46,00,000/- (रुपये छियालिस लाख) मात्र की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

2. उक्त राशि माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0009-दंत महाविद्यालय, पटना विपत्र कोड-20-2210051050009 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा (विवरणी संलग्न)।

3. संबंधित वित्त विभाग के परिपत्र सं0- 2561 वि0(2) दिनांक 17.04.98, परिपत्र सं0 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007 एवं 2398 वि0(2) दिनांक 08.04.08 में निदेशित प्रक्रिया के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।


4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

6. प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

7. प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
(सच्चिदानन्द चौधरी) 31/10/17

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप संख्या-1/दंत-05/2017- 1253(U) /स्वा0, पटना, दिनांक- 31 / 10 / 2017

प्रतिलिपि- वित्त विभाग, बजट शाखा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-1 को अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के विशेष सचिव

अतिरिक्त / अनुदान  
.....के लिए आवेदन-पत्र  
पुनर्विनियोग

सेवा में,

\*अनौपचारिक  
रूप से  
परामर्शित

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

\*द्वारा- वित्त विभाग

ज्ञाप संख्या-1/दंत-05/2017- 1178(1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 9 / 10 /2017

माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0009-दंत महाविद्यालय, पटना विपत्र कोड- 20-2210051050009 में वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यालय व्यय, प्रकाशन एवं मुद्रण तथा सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में रू0 46,00,000/- (रुपये छियालिस लाख) मात्र पुनर्विनियोग की स्वीकृति के प्रसंग में वित्त विभाग, बिहार, पटना को उपस्थापित ।

2. अतिरिक्त / अनुदान मांग सं0-20  
पुनर्विनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण नीचे लिखित ।

प्रस्तावित पुनर्विनियोग

व्ययन पदाधिकारी का पदनाम- प्राचार्य, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना

नियंत्रण पदाधिकारी का पदनाम- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।

अतिरिक्त / अनुदान मांग सं0-20


पुनर्विनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण तथा प्रत्याशित बचत के संबंध में स्पष्टीकरण, यदि कुछ हो ।

पुनर्विनियोग

माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0009-दंत महाविद्यालय, पटना विपत्र कोड- 20-2210051050009 में वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यालय व्यय, प्रकाशन एवं मुद्रण तथा सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में रू0 46,00,000/- (रुपये छियालिस लाख) मात्र की राशि भारतीय दंत परिषद्, नई दिल्ली के द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सभी विभागों में सामग्रियों की उपलब्धता, लाईब्रेरी एवं लेक्चर थियेटर को अपग्रेड करने तथा कार्यालय हेतु सामग्री एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु नितान्त आवश्यकता है ।

माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0009-दंत महाविद्यालय, पटना विपत्र कोड- 20-2210051050009 के 0009.27.02 अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल समतुल्य राशि रू0 46,00,000/- (रुपये छियालिस लाख) मात्र के बचत की संभावना है, जिसे प्रत्यर्पित करते हुए पुनर्विनियोग का प्रस्ताव उपस्थापित है ।

पुनर्विनियोग की राशि बजट उपबंध के 25% के अंदर है ।

  
सरकार के संयुक्त सचिव

अनुसूची 53-प्रपत्र सं०-221

मौग सं०-20

अनुदान/विनियोग

मौग सं०-20

मौग संख्या-20, मुख्य शीर्ष 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0009-दंत महाविद्यालय, पटना विपत्र कोड- 20-2210051050009

मौग संख्या-20, मुख्य शीर्ष 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0009-दंत महाविद्यालय, पटना विपत्र कोड- 20-2210051050009

शीर्ष जिसके अधीन अतिरिक्त अनुदान अपेक्षित है।						शीर्ष जिससे विनियोग प्रस्तावित है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
विनियोग की प्राथमिक ईकाईयाँ	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)	वर्तमान अनुदान	तत्कालिक प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च	अपेक्षित अतिरिक्त अनुदान	कुल अनुदान को जोड़ने के बाद रहेगा	विनियोग की प्राथमिक ईकाईयाँ	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)	वर्तमान अनुदान	तत्कालिक लिए गए प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च	प्रत्यर्पित राशि	कुल अनुदान जो घटाने के बाद रहेगा
0009.13.01 कार्यालय व्यय	₹ 300000	₹ 300000	₹ 280000	₹ 250000	₹ 280000	0009.27.02 अनुसंधान एवं मरम्मत	₹ 500000	₹ 500000	₹ 400000	₹ 460000	₹ 400000
0009.16.01 प्रकाशन एवं मुद्रण	₹ 25000	₹ 25000	₹ 12500	₹ 10000	₹ 12500						
0009.21.01 सामग्री एवं पूंजियाँ	₹ 500000	₹ 500000	₹ 250000	₹ 200000	₹ 250000						
कुल योग-				₹ 4600000						₹ 4600000	

1178(1)

9-10-17

सरकार के सयुक्त सचिव

*(Handwritten Signature)*